



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-01.05.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना रोहनिया में चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 1000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-179/2022 धारा 379/411 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त त्रिवेणी मंगता पुत्र प्यारे लाल मंगता निवासी चमनगंज भठरा थाना झूसी जनपद प्रयागराज को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 30.04.2024 को माननीय न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त त्रिवेणी मंगता उपरोक्त को अंतर्गत धारा 379/411 भा0द0वि0 में जेल में बितायी गयी अवधि (01 वर्ष 03 माह 18 दिन) व कुल 1000/- रु0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।